



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापनक्रमांक-03/चयन/2013/27.05.2013
ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 28.06.2013

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त
करने की अंतिम तिथि 16.07.2013

महत्वपूर्ण

- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 29.05.2013 (दोपहर 12:00) से 28.06.2013 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र का प्रिन्ट प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ सभी अभिलेखों (परिशिष्ट-2 अनुसार) तथा अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थित पत्रक (आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध) की अभिप्रमाणित संलग्न कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें। जिन आवेदकों के अभिप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2013 को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय को प्राप्त नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी एवं इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र भरणे एवं प्रेषित करने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 31.05.2013- से 30.06.2013 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/ निःशक्त जन) आदिके आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रसारित की जायेंगी। यद्यपि आयोग अपनी समस्त सूचनाओं को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है किंतु तत्काल सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना ही पर्याप्त होगी। आवेदक नवीन सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करें।

एक — भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से वर्गवार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				रिक्तियों में से निःशक्त आवेदकों हेतु आरक्षित पद	अर्हता
		अना	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ. पि. व.	अना	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अ. पि. व.		
सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक Asstt. Engineer (Electrical Safety) and Assistant Electrical Inspector	9	04	02	01	02	01	-	-	-	01 (अना.) अस्थि बाधित	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता। वांछनीय अर्हता: विद्युत इंजीनियरिंग के व्यवसाय में 3 वर्ष का अधिकारी के स्तर का अनुभव ऐसे प्रतिष्ठापनों का जो कम से कम 500 अश्वशक्ति की मोटर का उपयोग करता हो और/ या उच्च विभव (हाई टेंशन) उपभोक्ता हो।

- टीप— (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं, अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- (ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी।

- (iv) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।
- (v) सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद हेतु केवल 40% या अधिक अस्थिबाधित श्रेणी के निःशक्त आवेदक आरक्षण तथा छूटों के पात्र है ।

दो- पद का विवरण-

- (अ) पद का नाम : सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक
(Asstt. Engineer (Electrical Safety) and Assistant Electrical Inspector)
- (ब) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग
- (स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (द) पद स्थिति : अस्थायी
- (इ) वेतनमान : रुपये 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।
- (ज) अर्हता :
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता ।
वांछनीय अर्हता : विद्युत इंजीनियरिंग के व्यवसाय में 3 वर्ष का अधिकारी के स्तर का अनुभव ऐसे प्रतिष्ठापनों का जो कम से कम 500 अश्वशक्ति की मोटर का उपयोग करता हो और/ या उच्च विभव (हाई टेंशन) उपभोक्ता हो ।
विशेष: उक्त अर्हताये विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.06.2013 तक अर्जित होनी चाहिये । उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जायेंगे ।
- (फ) कर्तव्य : विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण कार्य ।

- तीन 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है । छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं है । उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा ।
2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें ।

चार आयु सीमा- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

पाँच आयु संगणना तिथि 01.01.2014 होगी ।

आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-1 देखें ।

मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी । उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी ।

छ: मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहाँ किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा ।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा ।

सात महत्वपूर्ण-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे । साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी ।

आठ अधिवार्षिकी आयु- 60 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया:- उपरोक्त पदों पर चयन आयोग के Rules Of Procedure में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार रहेगी:-

चयन साक्षात्कार के द्वारा होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताये न्यूनतम है और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही कोई आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाने का हकदार नहीं होगा। यदि विज्ञापित पदों की संख्या में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिये सभी आवेदकों का साक्षात्कार करना व्यवहारिक नहीं हो तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के छः गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन सूची घोषित की जायेगी।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ही ऑनलाईन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

ग्यारह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र-व्यवहार किया जायेगा। यदि आवेदक का पता परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नये पते की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करें ताकि आयोग नये पते पर पत्र-व्यवहार कर सके। आवेदक द्वारा पता परिवर्तन की स्थिति में नये पते की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने पते पर ही किया जावेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

- (i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-1
- (ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारीयां परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012, एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
विशेष: सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

- (2) अस्थिबाधित निःशक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट देय होगी। सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद हेतु केवल 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित निःशक्त आवेदक आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगे। निःशक्त आवेदकों को चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता प्रमाणित हो, ही मान्य किये जायेंगे।
- (3) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छंटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (4) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण—

मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण)नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार

"2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।"

टीप:- भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा "मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी पदों पर आरक्षण) नियम 1985" के संशोधनों के अध्याधीन रहेगी।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें

- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप
—

- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी।
- (2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट—

- (1) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 4) परिशिष्ट-1 (दो) (1 से 3) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
- (2) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुये भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

परिशिष्ट-2

ऑन लाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

- 1 सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक (Asstt. Engineer (Electrical Safety) and Assistant Electrical Inspector) के पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppsc.com
3. www.mppsc.nic.in

2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से भी ऑनलाईन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाईन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। एम.पी.ऑनलाईन अधिकृत **KIOSK** पर स्कैनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले की आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
5. ऑन लाईन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरे।
6. आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाईन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र **Submit** करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन **Submit** करे।
7. आवेदन पत्र **Submit** करने के बाद खुलने वाले **Pop up Window** में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **31.05.2013** से **30.06.2013** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन पत्र में सुधार किया जा सकेगा। यह सुधार आवेदक स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन ही कर सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त लिखित अभ्यावेदन मान्य नहीं किये जायेंगे तथा उन्हें सरसरी तौर पर नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
ऑनलाईन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/ निःशक्त जन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी /वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

09

आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

- (1) आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com के **Download Formate** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः एवं एक मूल प्रति तैयार करें।
- (2) इंटरनेट से प्राप्त पावती/ आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की एक-एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां सुरक्षित रखें जिन्हें आवेदक को साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (3) उक्त अभिलेख सेट के साथ ₹ 6/- का डाक टिकट लगा एक लिफाफा संलग्न करें। लिफाफे पर प्राप्तकर्ता के स्थान पर अपना नाम तथा पूर्ण पता लिखें।
- (4) आवेदन पत्र तथा उसके साथ संलग्न अभिलेख/लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में रखें। एक लिफाफे में केवल एक आवेदन पत्र रखें।
- (5) लिफाफे के ऊपर प्रेषक के स्थान पर अपना नाम तथा वर्तमान पता एवं लिफाफे के शीर्ष पर विज्ञापन क्रमांक तथा आवेदित पद एवं विभाग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें। उक्त विवरण के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारण संभव नहीं होगा।
- (6) आवेदन पत्र पंजीबद्ध डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग कार्यालय को भेजें।
- (7) ध्यान रखें सहपत्रों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक **16.07.2013** को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जायेगा।
- (8) सहपत्रों सहित आवेदन पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10:30 से सायं 5:30 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी।
- (9) आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र एवं अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

आवेदन- पत्र भेजने का पता-
सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी क्षेत्र,
इंदौर- 452001.

10. विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व आनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित करें।
11. आवेदक www.mponline.gov.in से ही आयोग कार्यालय में अपने आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।
12. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदन शुल्क

- (अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं के लिए तथा निःशक्त आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 30/- देय होगा।
- (ब) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 60/- देय होंगे।

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों तथा अस्थिबाधित निःशक्त आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क
₹ 30/-	₹ 60/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवा कर सहित) अतिरिक्त देय होगा	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी.आनलाइन से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

टीप आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-

01 आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा

02 किसी कारण से चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फ़ार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इन्दौर
(0731) 2701624, 2701983

एम पी ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026,

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)

तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

3 आवेदन की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 28.06.2013** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

(ब) स्वप्रमाणित सहपत्रों सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **16.07.2013 (सायं 5:30 बजे तक)** है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे तथा जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

4. आवेदक आयोग को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें -

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

अनुभव के प्रमाण पत्र : उक्त पद हेतु अनुभव अनिवार्य अर्हता नहीं है अपितु वांछनीय अर्हता है । अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये । अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये । सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) के पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्र निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-

:अनुभव प्रमाण पत्र: (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) के पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 03/चयन/2013, दिनांक 27.05.2013 के संदर्भ में जारी)			
क्रमांक-----	दिनांक-----		
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु. -----(आवेदक का नाम) हमारी संस्था में ----- पद----- पर दिनांक----- से दिनांक----- तक कार्यरत रहे है । उनके द्वारा धारित पद हमारे प्रतिष्ठापन की पदक्रम सूची में अधिकारी स्तर का है ।			
2. संस्था का विवरण संस्था का नाम :- ----- पता:- ----- ----- ----- संस्था का कार्यक्षेत्र:- ----- संस्था का पंजीयन विवरण:- -----			
पंजीयक प्राधिकारी		Service tax पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	
पंजीयन क्रमांक/दिनांक		VAT पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	
3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :- (जो लागू हो उसे टिक (✓) करें) अ. हमारा प्रतिष्ठापन 500 या अधिक (----- (हार्स पावर लिखें)) हार्सपावर की क्षमता की मोटर का उपयोग करता है । ब. हमारा प्रतिष्ठापन उच्च विभव (High Tension) उपभोक्ता है । जिसका विवरण निम्नानुसार है :-			
HT Connection No.	-----		
Last Bill Paid Month	-----		
Last Bill Paid Amount	Rs. -----		
	जारीकर्ता के हस्ताक्षर	-----	
	जारीकर्ता का नाम	-----	
	पद नाम	-----	
	प्रतिष्ठापन की सील	-----	
(संस्था के मूल लेटरहेड पर नियुक्ति प्राधिकारी/ संस्था प्रमुख द्वारा जारी किया जाय)			

निःशक्तता प्रमाण पत्र

निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है । आवेदक लिफाफे पर निःशक्त भी लिखे । सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद हेतु केवल 40% या अधिक अस्थिबाधित श्रेणी के निःशक्त आवेदक आरक्षण तथा छूटों के पात्र है ।

जाति के प्रमाण पत्र-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें । यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है । यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक

स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में कीमी लेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा हेतु उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

कार्यरत/ छंटनी किये गये शासकीय सेवकों हेतु:- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-3) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

- 5 जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिचयन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6 अनुशासनिक निर्देश

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

- (क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्थक ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या
- (ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-
 - (एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;
 - (दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और
- (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -
 - (एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
 - (दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

- 7 अनर्हताएँ:- ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

08. यात्रा व्यय का भुगतान -

- 1 मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत नहीं है तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:-
 - (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
 - (2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।

सचिव

01C